

पत्र सं०-६/पी-नई यो०-०६/१५- 222(६)९/स्वा०,


झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

शुद्धि-पत्र

विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०- 20(5)ब दि० 23.09.16 की कंडिका '17' एवं आवंटनादेश सं०- 50(5)ब दि० 04.01.18 की कंडिका '5' में अंकित "इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे जो प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि० को योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड के पत्रांक- 1758/वि० दिनांक 17.05.17 के आलोक में राशि का हस्तान्तरण करेंगे । इसके नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वा०चि०शि० एवं प०क० विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे" को संशोधित रूप में "इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन, राँची होंगे जो राशि का हस्तान्तरण प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि० के पी०एल० खाता- मुख्यशीर्ष- 8448- स्थानीय निधि जमा- 120- अन्य निधियों में करेंगे । इसके नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वा०चि०शि० एवं प०क० विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे" पढ़ा जाए।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगे ।


(सुधीर त्रिपाठी)


सरकार के अपर मुख्य सचिव ।

ज्ञाप संख्या 222(६)९

राँची, दिनांक: 05.02.18

प्रतिलिपि: माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/योजना सह वित्त विभाग/सचिव, भवन निर्माण विभाग/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि०/अभियान निदेशक, झारखण्ड ग्रामीण हेल्थ मिशन सोसायटी/संबंधित उपायुक्त/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/अवर सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी प्रशाखा के प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/सिविल सर्जन, राँची/संबंधित सिविल सर्जन/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

222(६)९
05.02.18


(सुधीर त्रिपाठी)

सरकार के अपर मुख्य सचिव ।